न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 41/2018 **अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री मेहराज अली एडवोकेट निवासी गुलअली नगरी, गली नं0 9, छोटी मस्जिद के सामने, भीलवाड़ा —अपीलार्थी	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 30/05/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 17.05.2018 को अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 17/03/2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/—रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 40 एफ 920412 संलग्न कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा से सूचना चाही गई परन्तु नियत समय सीमा व्यतीत हो जाने पर भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17.03.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ संलग्न कर जरिये डाक प्राप्त हुई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 18/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। अपीलार्थी नियत दिनांक 30.05.2018 को उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सू0प्र0/ 2018/ 86 दिनांक 29.05.2018 से बिन्दु संख्या 01 से लगायत 10 की सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये डाक पत्रांक सू0अ0/2018/83 दिनांक 28.05.2018 से प्रेषित की गई जिसकी प्रति जवाब के साथ संलग्न है।

अपीलार्थी अनुपस्थित प्रत्यर्थी को सुना गया। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 17.03.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें दर्ज 10 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। जो तैयार कर अपने पत्रांक/सू0अ0/2018/83 दिनांक 28.05.2018 से जरिये डाक अपीलार्थी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

को प्रेषित की गई जिसकी प्रति जवाब के साथ संलग्न है। प्रत्यर्थी ने सूचना विलम्ब से तैयार कर अपीलार्थी को जरिये डाक निःशुल्क भिजवादी जाने से अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी की अपील के साथ संलग्न आवेदन में अंकित 10 बिन्दुओं की सूचना तैयार कर अपने पत्रांक/सू0अ0/2018/83 दिनांक 28.05.2018 से सीधे ही अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना सिद्ध होता है। जिसकी प्रति जवाब के साथ संलग्न है। 10 बिन्दुओं में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां जवाब के साथ संलग्न की है। इस प्रकार प्रत्यर्थी के कार्यालय में जो सूचना तैयार थी वह जरिये डाक से निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। सूचना समयावधि में नहीं दिए जाने से अपीलार्थी को निःशुल्क भिजवाई गई है ऐसी स्थिति में अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से अपील सारहीन एवं बलहीन होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 30/05/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा